

**(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRA  
ORDINARY)**

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)  
8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI**

**No.F.14(15)/LA-2009/LJ/10/116aw/15**

**Dated: 1<sup>st</sup> the January, 2010**

**NOTIFICATION**

No.F.14(15)/LA-2009/LJ/10/116aw/15 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi 5<sup>th</sup> January, 2010 and is hereby published for general information:-

“The Delhi Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 2009  
(DELHI ACT 2 OF 2010)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 16<sup>th</sup> December, 2009)

(5<sup>th</sup> January, 2010)

An Act to further amend the Delhi Entertainments and Betting Tax Act, 1996

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Delhi Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 2009.  
(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.  
(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.
2. **Amendment of section 2.-** In the Delhi Entertainments and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act No. 8 of 1997) (hereinafter referred to as “the principal Act”), in section 2-

- (a) for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:-



“(a) ‘addressable system’ means an electronic device or more than one electronic devices put in an integrated system through which television signals and value added services can be sent in encrypted or unencrypted form, which can be decoded by the device or devices at the premises of the subscriber within limits of the authorization made, on the choice and request of such subscriber, by the service provider to the subscriber;

(aa) “admission to an entertainment” includes admission to any place in which the entertainment is held and in case of

entertainment through cable service and direct to home (DTH) service with or without cable connection, each connection to a subscriber shall be deemed to be an admission for entertainment;”;

- (b) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) “assessing authority” means the Entertainment and Betting Tax Officer and includes Additional Entertainment and Betting Tax Officer and Assistant Entertainment and Betting Tax Officer;”;

- (c) after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(fa) “broadcaster” means any person including an individual, group of persons, public or body corporate, firm or any organization or body, who or which is providing programming services and includes his or her authorized distribution agencies;”;

“(fb) “cable operator” means any person who provides cable service through a cable television network or otherwise controls or is responsible for the management and operation of a cable television network;”;

- (d) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ha) “direct-to-home (DTH) service” means distribution of multi-channel television and radio programmes and similar content by using a satellite system, by providing signals directly to subscriber’s premises without passing through an intermediary or otherwise;”;

- (e) in clause (i), after the words “through cable service” occurring at the end, the words brackets and signs “and direct to home (DTH) service,” shall be inserted;



- (f) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ka) “multi-system operator (MSO)” means any person including an individual, group of persons, public or body corporate, firm or any other organization or body, who or which is engaged in the business of receiving television signals and value added services from a broadcaster or his authorized agencies and distributing the same or transmitting his own programming service including production and transmission of programmes and packages, directly to the multiple subscribers or through one or more cable operators and includes its authorized distribution agencies by whatever name called;”;

- (g) in clause (m) after sub-clause (v), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(vi) any payment made by a person by way of contribution, subscription, installation or connection charges or any other charges collected in any manner whatsoever for entertainment through direct-to-home (DTH) broadcasting service for distribution of television signals and value added services with the aid of any type of addressable system, which connects a television set, computer system at a residential or non-residential place of subscriber's premises, directly to the satellite or otherwise;”;



- (h) in clause (o), after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(iv) having licence to provide direct-to-home (DTH) service, by the Central Government under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), and the Indian Wireless Telegraph Act, 1933 (17 of 1933) and also

include service provider of cable television signals and value added services, registered or licensed under the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 ( 7 of 1995);”;

- (i) after clause (p), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(pa) set top box” means an apparatus, connected to a television set or computer system at a residential or non-residential place which receives decrypted television signals and radio services to the television set or computer set, which enables the viewers to tune into multi-channel television or radio content;

“(pb) service provider” includes any person licensed or registered under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) and any other Act for providing, television and radio signals and is providing entertainment;”;

- (j) for clause (s), the following clause shall be substituted, namely:-

“(s) “subscriber” means a person who receives the signals of television network and value added services from multi-system operator or from cable operator or from direct-to-home (DTH) broadcasting service at a place indicated by him to the service provider, without further transmitting it to any other person;

Explanation 1. – In case of hotels, each room or premises where signals of cable television network are received shall be treated as a subscriber;



Explanation II. – In case of direct-to-home (DTH), every television set or computer set receiving the signals shall be treated as a subscriber.”

**3. Amendment of section 3.** - In the principal Act, in section 3, in sub section (2), after the words “Additional Entertainment and Betting Tax Officers” and before the word “Inspectors” the words “Assistant Entertainment and Betting Tax Officers,” shall be inserted.

**4. Amendment of section 7.** - In the principal Act, in section 7-  
(a) for the shoulder heading, the following shoulder heading shall be substituted, namely :-

**“Tax on cable, video service and direct –to-home (DTH) service .-”**

(b) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :-

“ (1) Subject to the provisions of this Act, there shall be levied and paid an entertainment tax on all payments for admission to an entertainment through a direct-to-home (DTH) or through a cable television network with addressable system or otherwise, other than entertainment to which section 6 applies, at such rates not exceeding rupees six hundred for every subscriber for every year as the Government may, from time to time, notify in this behalf, which shall be collected by the proprietor and paid to the Government in the manner prescribed.”.



**5. Amendment of section 8.** – In the principal Act, in section 8, in sub-section (2), after the words “video cinema ” and before the word “shall”, the words and figure “or Direct to Home (DTH)” shall be inserted.

6. **Insertion of new section 15A.** - In the principal Act, after section 15, the following section shall be inserted, namely:-

**"15A. Power to summon witnesses and production of documents.-**

- (1) The assessing , appellate or revising authority shall, for securing the attendance or for production of any document for the purpose of this Act, have all the powers conferred on a Civil Court under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) for the purpose of-
  - (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath or affirmation; and
  - (b) compelling the production of any document connected with the assessment proceedings.
- (2) The authority referred to in subsection (1) shall have powers to call for such information, particulars and records as he may require, from any person, including the broadcaster, cable operator, proprietor of direct-to-home, multi-system operator or the subscriber, for any purpose under this Act."

7. **Substitution of new section for section 20.** - In the principal Act, for section 20, the following section shall be substituted, namely:-

**" 20. Licence for book-maker.** - No person shall act as a book-maker unless he obtains a licence from the Commissioner in the form and manner prescribed after making payment of licence fee as notified by the Government from time to time."



8. **Substitution of new section for section 39.** - In the principal Act, for section 39, the following section shall be substituted, namely:-

**"39. Recovery of Tax.** - (1) The amount of any tax, interest, penalty or other amount due under any provision of this Act shall, without prejudice to any other mode of recovery available to the Government under any other law for the time being in force, be recoverable as arrears of land revenue.

- (2) If the tax, interest, penalty or other amount due has not been deposited within the specified time, a recovery certificate to the Collector for recovery of the same shall be issued in such manner as may be prescribed.
- (3) For the purposes of recovery of any amount recoverable as arrears of land revenue under this Act, the provisions of the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Delhi Act 8 of 1954), as to the recovery of arrears of land revenue shall, notwithstanding anything contained in that Act or in any other enactment, be deemed to be in force throughout Delhi and the provisions of the Revenue Recovery Act, 1890 (1 of 1890) shall have effect accordingly.
- (4) For the purposes of recovery of any amount recoverable as arrear of land revenue under this Act, -
- (a) the Deputy Entertainment Tax and Betting Tax Commissioner shall have and exercise all the powers and perform all the duties of the Deputy Commissioner under the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Delhi Act 8 of 1954);
  - (b) the Entertainment Tax Officer and Additional Entertainment Tax Officer shall have and exercise all the powers and perform all the duties of the Revenue Assistant under the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Delhi Act 8 of 1954);
  - (c) the Assistant Entertainment Tax Officer shall have and exercise all the powers and perform all the duties of Tehsildar under the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Delhi Act 8 of 1954)."



**9. Insertion of new Section 39A.** –In the principal Act, after section 39, the following section shall be inserted, namely :-

**“39A. Special Mode of Recovery.** - (1) Notwithstanding anything contained in any law or contract to the contrary, the Commissioner may, at any time or from time to time, by notice in writing, a copy of which shall be forwarded to the person at his last known address, require, -

- (a) any person from whom any amount of money is due, or may become due, to the person (in this section called “the taxpayer”) liable to pay tax, interest, penalty or any amount due under this Act, or
- (b) any person who holds or may subsequently hold money for or on account of the taxpayer, to pay to the Commissioner, either forthwith upon the money becoming due or being held so much of the money as is sufficient to pay the amount due by the taxpayer in respect of the arrears of tax, interest, penalty or any other amount under this Act, or the whole of the money when it is equal to or less than that amount.



- (2) The Commissioner may amend or revoke any such notice or extend the time for making any payment in pursuance of the notice.
- (3) Any person making any payment in compliance with a notice under this section shall be deemed to have made the payment under the authority of the taxpayer, and the receipt thereof by the Commissioner shall constitute a good and sufficient discharge of the liability of such persons to the extent of the amount specified in the receipt.
- (4) Any person discharging any liability to the taxpayer after receipt of the notice referred to in this section, shall be personally liable to the Commissioner to the extent of the liability discharged or to the extent of the liability of the dealer for unpaid tax, penalty and interest.



- (5) Where a person to whom a notice under this section is sent, proves to the satisfaction of the Commissioner that the sum demanded or any part thereof is not due to the taxpayer or that he does not hold any money for or on account of the taxpayer, then, nothing contained in this section shall be deemed to require such person to pay any such sum or part thereof, as the case may be, to the Commissioner.
- (6) Any amount of money which the aforesaid person is required to pay to the Commissioner, or for which he is personally liable to the Commissioner under this section shall, if it remains unpaid, be recoverable as if arrears of land revenue from the aforesaid person.
- (7) The Commissioner may apply to the court in whose custody there is money belonging to the taxpayer for payment to him of the entire amount of such money or if it is more than the tax, interest and penalty, if any, due, an amount sufficient to discharge such tax, interest and the penalty."

**10. Amendment of section 45.** – In the principal Act, in section 45 in sub-section (2), –

- (a) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) procedure for giving prior information to the Commissioner for holding entertainment on which tax is leviable and for obtaining permission for holding entertainment by the proprietor of cable television network or direct-to-home (DTH) or video cinema hall;"

- (b) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(da) prescribing the manner of payment of entertainment tax to the Government in respect of entertainments described in section 7;"



- (c) for clause (l), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(l) prescription of the form, manner and licence fee for obtaining book-makers licence;"

- (d) after clause (q), the following clauses shall be inserted, namely:-

" (qa) prescribing the conditions for conducting special audit under section 45A;"

**11. Insertion of new section 45A.** – In the principal Act, after section 45, the following section shall be inserted, namely:-

**"45A. Power of the Commissioner to issue direction for special audit.-** (1) If, at any stage of the proceedings under this Act, the Commissioner, having regard to the nature of the entertainment event and complexity of the transactions made by the proprietor of the entertainment event and the interest of the revenue, is of the opinion that it is necessary to do so, he may direct the Proprietor by a notice in writing to get his records including books of accounts, examined and audited by an Accountant or a panel of Accountants or any other professional or panel of professionals nominated by the Commissioner in this behalf and to furnish a report of such examination and audit in the format that he may specify, duly signed and verified by such Accountant or panel of Accountants or professional or panel of professionals and setting forth such particulars as may be prescribed.

(2) Every report under sub-section (1) shall be furnished by the Proprietor of the entertainment event to the Commissioner within such period as may be specified by the Commissioner:




Provided that the Commissioner may, on an application made in this behalf by the proprietor and for any good and sufficient reason, extend the said period by such further period as he thinks fit.

(3) The expenses of, and incidental to the examination and audit of records under sub section (1) (including the remuneration of the accountant or a panel of accountants or professional or panel of professionals) shall be paid by the proprietor as determined by the Commissioner and that determination shall be final and default in such payment shall be recoverable from the proprietor as tax and in the manner provided for the recovery of arrears of tax under this Act."



(Savita Rao)

Joint Secretary (Law, Justice and Legislative Affairs)



(दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

आठवां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002.

सं0फा0 14(15)/एल.ए.-2009/एल.जे./10/ललल/15 दिनांक: 12 जनवरी, 2010

### अधिसूचना

सं0फा0 14(15)/एल.ए.-2009/एल.जे./10/ललल/15 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की दिनांक 05 जनवरी, 2010 को मिली सहमति के पश्चात् दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है:-

“दिल्ली मनोरंजन और बाजी कर (संशोधन) अधिनियम, 2009  
(2010 का दिल्ली अधिनियम 02)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 को यथा पारित)

(05 जनवरी, 2010)

दिल्ली मनोरंजन और बाजी कर अधिनियम 1996 में संशोधन करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.** - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली मनोरंजन और बाजीकर (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।  
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली पर है।  
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. धारा 2 का संशोधन. — दिल्ली मनोरंजन और बाजीकर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम संख्यांक 8) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 में—

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जायेंगे अर्थात् :—

“(क) ‘ऐड्रैसेबुल सिस्टम’ का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (डिवाइस) अथवा किसी समेकित प्रणाली में प्रयुक्त एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसके माध्यम से टेलीविजन संकेत और मूल्य अभिवर्धित सेवाएं एन्क्रिप्टिड अथवा अनएन्क्रिप्टिड रूप में प्रेषित की जा सकती हैं, जिन्हें सेवा प्रदाता द्वारा ग्राहक की पसन्द और अनुरोध पर प्रदत्त प्राधिकार की सीमाओं में ग्राहक के परिसर में डिकोडिड किया जा सकेगा ;

(क क) “किसी मनोरंजन में प्रवेश” के अंतर्गत किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश भी है, जिसमें मनोरंजन का आयोजन किया गया हो और केबल सेवा तथा डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा के जरिए केबल कनेक्शन सहित अथवा केबल कनेक्शन रहित मनोरंजन के मामले में, किसी ग्राहक को दिए गए प्रत्येक कनेक्शन को मनोरंजन के लिए प्रवेश समझा जायेगा;”;

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(ग) “ कर निर्धारक प्राधिकारी” का अर्थ है मनोरंजन और बाजी कर अधिकारी और इसके अंतर्गत अपर मनोरंजन और बाजी कर अधिकारी तथा सहायक मनोरंजन और बाजी कर अधिकारी भी हैं;”;

(ग) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

“(च क) “प्रसारण कर्ता” का अर्थ है कोई व्यक्ति, व्यक्ति-समूह, सार्वजनिक या निगमित निकाय, प्रतिष्ठान अथवा कोई अन्य संगठन या निकाय, जो कार्यक्रम सेवाएं प्रदान कर रहा हो और इसके अंतर्गत उसके प्राधिकृत वितरण अभिकरण भी हैं;”;

“(च ख) “केबल ऑपरेटर” का अर्थ है कोई व्यक्ति जो किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिए केबल सेवाएं प्रदान कर रहा हो अथवा अन्य किसी पद्धति से सेवाओं पर नियंत्रण रख रहा हो अथवा किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रबंध और प्रचालन के लिए जिम्मेदार हो;”;

(घ) खंड (ज) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(ज क)” डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा” का अर्थ है किसी उपग्रह प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी मध्यस्थ या अन्य किसी माध्यम के, ग्राहकों को सीधे मल्टी-चैनल टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों और समान विषय वस्तु का वितरण;”;

(ङ) खंड (झ) में, अंत में आने वाले शब्दों, “केबल सेवा के जरिए” के पश्चात “तथा डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा” शब्द, कोष्ठक और संकेत अन्तःस्थापित किये जायेंगे;

(च) खंड (ट) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(ट क) “मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)” का अर्थ है कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, सार्वजनिक अथवा निगमित निकाय, फर्म अथवा कोई अन्य संगठन या संस्था, जो किसी प्रसारणकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत अभिकरणों से टेलीविजन संकेत और मूल्य अभिवर्द्धित सेवाएं प्राप्त करती है और उन्हें सीधे अथवा एक या अधिक केबल ऑपरेटरों के माध्यम से वितरित करता है या कार्यक्रमों और पैकेजों के निर्माण और पारेषण सहित स्वयं की

कार्यक्रम सेवा पारेषित करता है और इसके अन्तर्गत अपनी अधिकृत वितरण अभिकरणों चाहे किसी भी नाम से, भी है;”;

(छ) खंड (ड) में उप-खंड (v) के पश्चात निम्नलिखित उप-खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(vi) किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान, जो डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवा के माध्यम से टेलीविजन संकेतों और मूल्य अभिवर्धित सेवाओं के वितरण के लिए किसी प्रकार के ऐंड्रैसेबुल सिस्टम, जो किसी टेलीविजन सेट, कम्प्यूटर प्रणाली को सीधे उपग्रह अथवा अन्य माध्यम से जोड़ता है, की सहायता से मनोरंजन के लिए अंशदान, अभिदान, प्रतिष्ठापन संस्थापना अथवा कनेक्शन शुल्क अथवा वसूल किए गए किसी अन्य प्रकार के शुल्क के रूप में किया गया हो;”;

(ज) खंड (ग) में, उप-खंड (3) के पश्चात निम्नलिखित उप-खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(iv) केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4, और भारतीय बेतार तारयंत्र अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के अधीन डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस रखने वाले और इसके अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) के अधीन पंजीकृत या लाइसेंस-प्राप्त केबल टेलीविजन संकेत एवं मूल्य अभिवर्धित सेवा प्रदाता भी है;”;

(झ) खंड (त) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(त क) “सेट टॉप बॉक्स” का अर्थ है एक ऐसा उपकरण, जो किसी आवासीय अथवा गैर-आवासीय स्थान पर किसी टेलीविजन सेट अथवा कम्प्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो, जो टेलीविजन सेट या कम्प्यूटर सेट के लिए डिजिटल टेलीविजन

संकेत और रेडियो सेवाएं प्राप्त करता है, और जो दर्शकों को मल्टी-चैनल टेलीविजन अथवा रेडियो कार्यक्रमों का लाभ उठाने में समर्थ बनाता है;

(त ख) “सेवा प्रदाता” के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है, जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13), केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7), भारतीय बेतार तार तंत्र अधिनियम, 1933 (1933 का 17) और किसी अन्य अधिनियम के अधीन टेलीविजन और रेडियो संकेत प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है और जो मनोरंजन प्रदान कर रहा है;”;

(ज) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड शामिल किया जायेगा, अर्थात् :-

“(घ) “ग्राहक” का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवा से टेलीविजन नेटवर्क और मूल्य अभिवर्धित सेवाओं के संकेत उस स्थान पर प्राप्त कर रहा है, जिसका उल्लेख उसने सेवा प्रदाता के समक्ष किया हो, और वह किसी अन्य व्यक्ति को संकेत पारेषित न कर रहा हो;

**स्पष्टीकरण I.** — होटलों की स्थिति में, प्रत्येक कमरे या परिसर को, जहां केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेत प्राप्त किए जा रहे हों, एक ग्राहक समझा जायेगा;

**स्पष्टीकरण II.** — डायरेक्ट - टू - होम (डीटीएच) की स्थिति में, संकेत प्राप्त करने वाले प्रत्येक टेलीविजन सेट या कम्प्यूटर सेट को एक ग्राहक समझा जाएगा” ।

3. **धारा 3 का संशोधन.** — मूल अधिनियम में धारा 3 में उप-धारा (2) में “अतिरिक्त मनोरंजन और बाज़ीकर अधिकारियों” के पश्चात तथा “निरीक्षकों” शब्द से पहले शब्द “सहायक मनोरंजन और बाज़ीकर अधिकारी” अन्तःस्थापित किये जायेंगे ।



**4. धारा 7 का संशोधन. — मूल अधिनियम में, धारा 7 में —**

(क) स्कन्ध शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित स्कन्ध शीर्षक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“ केबल, वीडियो सेवा और डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा पर कर—”

(ख) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

“(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) के माध्यम से या ऐड्जेसेबल सिस्टम सहित या उससे रहित केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए सभी भुगतानों पर मनोरंजन कर लगाया जायेगा और अदा किया जायेगा, किंतु धारा 6 के अधीन आने वाले मनोरंजन पर यह कर नहीं लगेगा, और इस कर की दर प्रत्येक वर्ष प्रति ग्राहक छह सौ रुपये से अनधिक होगी, जो सरकार समय-समय पर कर अधिसूचित करे, जिसे स्वत्वधारी द्वारा संग्रहित किया जायेगा और विहित रीति से सरकार को अदा किया जायेगा।”

**5. धारा 8 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में “विडियों सिनेमा” शब्दों के पश्चात् तथा “होगा” शब्द से पहले “या डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच)” शब्दों तथा अंकों को सन्निविष्ट किया जायेगा।**

**6. नई धारा 15 क का अन्तःस्थापन. — मूल अधिनियम में, धारा 15 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—**

“15 क. — साक्षियों को बुलाने और दस्तावेज पेश कराने की शक्ति. — (1) निर्धारण, अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की उपस्थिति प्राप्त

करने या कोई दस्तावेज पेश कराने के लिए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अधीन सिविल न्यायालय को प्रदत्त हैं —

(क) किसी व्यक्ति को बुलाने तथा उपस्थिति प्रवर्तित करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसका परीक्षण करने; और

(ख) निर्धारण कार्यवाहियों से संसक्त किसी दस्तावेज का पेश किया जाना बाध्य करने।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए, प्रसारणकर्ता, केबल ऑपरेटर, डायरेक्ट-टू-होम के स्वत्वधारी, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा ग्राहक से ऐसी जानकारी, विवरण और अभिलेख मंगाने की शक्ति होगी, जो वह अपेक्षित करे।”

7. धारा 20 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन. — मूल अधिनियम में, धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

“20. बुकमेकर के लिए लाइसेंस.— कोई व्यक्ति सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लाइसेंस शुल्क अदा करके निर्धारित प्रपत्र और रीति से आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त किए बिना बुक-मेकर के रूप में कार्य नहीं करेगा।”

8. धारा 39 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन. — मूल अधिनियम में धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

“39. कर की वसूली. — (1) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन देय कोई कर, ब्याज, शास्ति या अन्य राशि, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सरकार को उपलब्ध वसूली के किसी

अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

(2) यदि कर, ब्याज, शास्ति या अन्य देय राशि विनिर्दिष्ट समय के भीतर जमा नहीं कराई गई है, तो उसकी वसूली के लिए कलेक्टर को वसूली प्रमाणपत्र ऐसी रीति से जारी किया जायेगा जो विहित की गई हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय किसी राशि की वसूली के प्रयोजन के लिए भू-राजस्व की बकाया की वसूली के विषय में, दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 (1954 का 8) के उपबंध, इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के होते हुए भी, सम्पूर्ण दिल्ली क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे और राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय किसी रकम की वसूली के प्रयोजन के लिए,—

(क) उप मनोरंजन कर और बाज़ी कर आयुक्त को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 8) के अधीन उपायुक्त की सब शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा तथा उसके सभी कर्तव्यों का पालन करेगा;

(ख) मनोरंजन कर अधिकारी और अपर मनोरंजन कर अधिकारी को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 8) के अधीन राजस्व सहायक की सब शक्तियां प्राप्त होंगी और वे उसके कर्तव्यों का पालन करेंगे;

(ग) सहायक मनोरंजन कर अधिकारी को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 8) के अधीन तहसीलदार की सब शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा तथा वह उसके सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।”

9. नई धारा 39क का अंतःस्थापन. — मूल अधिनियम में, धारा 39 के पश्चात निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“39क वसूली का विशेष ढंग — (1) किसी विधि या संविदा में कोई प्रतिकूल बात होते हुए भी, आयुक्त, किसी समय अथवा समय-समय पर, लिखित सूचना द्वारा, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति के अंतिम ज्ञात पते पर अग्रसारित की जायेगी :-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन बकाया कर, ब्याज, शास्ति अथवा कोई अन्य राशि देने के लिए दायी व्यक्ति, जिसे इस धारा में कर दाता कहा गया है, को देय है या देय हो सकती है, अथवा

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास करदाता की ओर से अथवा उसके लेखे कर दाता का धन जमा है या बाद में हो सकता है, अपेक्षित कर सकेगा कि वह आयुक्त को उतनी राशि अदा करे जो करदाता की ओर बकाया कर, ब्याज, शास्ति या इस अधिनियम के अधीन बकाया किसी अन्य राशि के चुकता करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा पूरी राशि जमा करें, जब वह उस राशि के समान अथवा उससे कम हो।

(2) आयुक्त ऐसे किसी नोटिस का संशोधन या प्रतिसंहरण कर सकेगा अथवा नोटिस के अनुपालन में किसी भुगतान के लिए समय सीमा बढ़ा सकेगा।

- (3) इस धारा के अधीन नोटिस के अनुपालन में कोई भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने करदाता के प्राधिकार के अधीन भुगतान किया है, और आयुक्त द्वारा दी गई उसकी रसीद उतनी राशि तक करदाता की ओर से देयता का वैध और पर्याप्त उन्मोचन समझी जायेगी, जितनी राशि का उल्लेख रसीद में होगा।
- (4) इस धारा में निर्दिष्ट नोटिस प्राप्त होने के बाद करदाता के प्रति किसी देयता का उन्मोचन करने वाला कोई व्यक्ति उन्मोचित देयता की सीमा तक अथवा अदा न किए गए कर, शास्ति या ब्याज के लिए डीलर की देयता की सीमा तक आयुक्त के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।
- (5) जहां कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन नोटिस भेजा जाता है आयुक्त के समाधान प्रद रूप में यह सिद्ध कर देता है कि मांगी गई राशि अथवा उसका कोई हिस्सा कर दाता की ओर बकाया नहीं है अथवा कर दाता की ओर से या कर दाता का कोई धन उसके पास नहीं है, वहां इस धारा में अंतर्विष्ट कोई उपबंध ऐसे व्यक्ति को बकाया राशि अथवा उसका हिस्सा, जैसी भी स्थिति हो, आयुक्त को अदा करने की अपेक्षा करने वाला नहीं समझा जाएगा।
- (6) उक्त व्यक्ति से आयुक्त को अदा की जाने के लिए अपेक्षित धन राशि, अथवा इस धारा के अधीन आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से देय राशि, का भुगतान यदि वह अदा नहीं हो पाती है, तो वह उक्त व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।
- (7) आयुक्त उस न्यायालय में, जिसकी अभिरक्षा में करदाता की रकम है, आवेदन कर सकेगा कि उसे ऐसी धनराशि में से पूरी रकम दे दी जाए या यदि वह उसके कर ब्याज और शास्ति यदि कोई देय हो, से अधिक है तो जो ऐसे कर, ब्याज या शास्ति की राशि के उन्मोचन के लिए पर्याप्त हो।”

**10. धारा 45 का संशोधन.** — मूल अधिनियम में, धारा 45 की उपधारा (2) में, —

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(ग) जिन मनोरंजनों पर कर लगाना है उनको आयोजित करने के लिए आयुक्त को पूर्व जानकारी देने की पद्धति तथा किसी केबल टेलिविजन नेटवर्क या डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) या विडियो सिनेमा हॉल के स्वामी द्वारा मनोरंजन आयोजित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की पद्धति;”;

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(घ क) धारा 7 में वर्णित मनोरंजनों की बाबत सरकार को मनोरंजन कर के भुगतान की रीति विहित करना;”;

(ग) खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्:-

“(झ) बुक-मेकर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रपत्र, रीति और लाइसेंस शुल्क विहित करना;”;

(घ) खण्ड (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :-

“(थ क) धारा 45क के अधीन विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने की शर्तें विहित करना;” ।

**11. नई धारा 45क का अंतःस्थापन.** — मूल अधिनियम में, धारा 45 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

**“45क. विशेष लेखा परीक्षा के निर्देश जारी करने संबंधी आयुक्त की शक्तियां.**— (1)यदि, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी स्तर पर, मनोरंजन कार्यक्रम के स्वरूप और मनोरंजन कार्यक्रम के स्वत्वधारी द्वारा किए गए लेन-देन की जटिलता और राजस्व के हित को देखते हुए, आयुक्त की यह राय हो कि विशेष लेखा परीक्षा अनिवार्य है, तो वह

है, तो वह स्वत्वधारी को लिखित नोटिस के द्वारा निर्देश दे सकेगा कि वह लेखा-बहियों सहित अपने रिकार्डों की परीक्षा किसी लेखाकार अथवा लेखाकारों के पैनल या आयुक्त द्वारा इस बारे में अपनी ओर से नामित अन्य पेशेवर अथवा पेशेवरों के पैनल से कराएं और ऐसे परीक्षण की रिपोर्ट उस रूप में प्रस्तुत करें जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, और उसे संबद्ध लेखाकार या लेखाकारों के पैनल अथवा पेशेवर या पेशेवरों के पैनल द्वारा सम्यक्तः सत्यापित और हस्ताक्षरित किया गया हो तथा उसमें ऐसा ब्योरा दिया गया हो जो विहित किया जाए।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक रिपोर्ट मनोरंजन कार्यक्रम के स्वत्वधारी द्वारा आयुक्त को ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत की जायेगी, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो :

परंतु आयुक्त, इस बारे में स्वत्वधारी की ओर से इस निमित्त किए गए आवेदन और वैध एवं उपयुक्त कारण के आधार पर ऐसी अवधि को उस सीमा तक बढ़ा सकेगा जो वह उपयुक्त समझे।

(3) उप-धारा (1) के अधीन अभिलेखों की परीक्षा और लेखा परीक्षा संबंधी खर्च और अनुषंगी खर्च (लेखाकार या लेखाकारों के पैनल या व्यवसायी अथवा व्यवसायियों के पैनल के पारिश्रमिक सहित) जिसका निर्धारण आयुक्त द्वारा किया जायेगा, स्वत्वधारी द्वारा अदा किया जायेगा, और यह निर्धारण अंतिम होगा तथा ऐसे भुगतान में चूक होने की स्थिति में, तत्संबंधी राशि कर के रूप में और इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया राशि की वसूली के लिए उपबंधित रीति से स्वत्वधारी से वसूलनीय होगी।”

सविता राव

(सविता राव)

संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)